मत्स्य योजना

राज्य के उपलब्ध जल संसाधनों में मछली पालन द्वारा मत्स्य उत्पादन में अभिवृद्धि तथा इस व्यवसाय में लगे परम्परागत मछुआरों को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे है। ।

विभाग द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे प्रमुख कार्यक्रमों में अनुदानित दर पर उन्नत नश्ल की मत्स्य अंगुलिकाओं का उत्पादन एवं वितरण , मत्स्य पालक विकास अभिकरण के माध्यम से तालाबों का भौतिक विकास एंव गहन मत्स्य उत्पादन , मत्स्य पालकों को अल्पकालीन प्रशिक्षण , राष्ट्रीय मछुआ कल्याण कार्यक्रम अन्तर्गत मछुआरों के लिए आवास एवं अन्य नागरिक सुविधाएँ तथा दुर्घटना बीमा योजना आदि प्रमुख है। इन योजनाओं के कार्यान्वयन से राज्य में मत्स्य उत्पादन में अभिवृद्धि हो रही है एवं मत्स्य पालक लाभांवित हो रहे है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में योजना मद में 24.34 करोड रू0 उदव्यय के विरूद्व 20.40 करोड रू0 व्यय हुए। केन्द्र प्रायोजित योजनाअन्तर्गत भारत सरकार के अंशदान के रूप में 323 लाख रू0 विमुक्त हुए। वास्तविक व्यय 301.63 लाख रू0 हुए हैं।

राज्य में सभी श्रोतों से 4.56 लाख टन मछली तथा 650 मिलियन मत्स्य बीज उत्पादन का लक्ष्य है। इसके विरूद्ध मार्च 2011 तक क्रमश : 2.88 लाख टन मछली तथा 2783.18 लाख मत्स्य बीज का उत्पादन हुआ है। इसके अतिरिक्त 50,000 सक्रिय मछुआरों को सामूहिक जीवन दुर्घटना बीमा योजना का कवरेज प्रदान किया गया है। जनश्री बीमा योजना अन्तर्गत 20,000 मछुआरों को अच्छादित किया गया है। राष्ट्रीय मछुआ कल्याण कार्यक्रम अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित येाजना के रूप में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के आधे आधे व्यय भार पर राज्य के 17 जिलों के मछुआ वाहूल्य वस्तियों में 2000 अद्द आवास, 114 चापाकल एवं 18 सामुदायिक भवन निर्माण की योजना कार्यान्वित हो रही है। वर्ततान में कुल 59 मत्स्यबीज हैचरी कार्यरत हैं तथा 15 हैचरी निर्माणाधीन हैं। मत्स्य बीज उत्पादन की क्षमता में विकास हेतु 60 अद्द मत्स्य बीज हैचरी एवं मछलियों में परिपूरक आहार उपलब्ध कराने के लिए 60 फिश फिड मिल स्थापित करने हेतु जिलों को राशि उपलब्ध करायी गयी है। राज्य के विभिन्न बैंकों में कुल 55 नये मत्स्य बीज हैचरी निर्माण हेतु ऋण प्रस्ताव भेजे गये । अभी तक मात्र 8 ऋण प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त हुई है। मत्स्य क्रेडिट कार्ड निर्गत करने हेतु विभिन्न बैंकों में कुल 8976 प्रस्ताव भेजे गये परन्तु बैंको द्वारा मात्र 756 प्रस्ताव ही स्वीकृत किये गये है। राज्य में नये तालाब के निर्माण/जीर्णोद्धार से संबंधित

कुल 539 प्रस्ताव विभिन्न बैंको में अनुमानित लागत 1758.07 लाख रूपये का भेजा गया परन्तु मात्र 32 प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं तथा 27 प्रस्ताव के लिए ही मात्र 18.55 लाख रूपये का वितरण किया गया है। गत वर्ष राज्य में 843.18 लाख अनुदानित दर पर अंगूलिकाओं का वितरण किया गया। गत वर्ष कुल 841 मत्स्य पालकों तथा 18 विभागीय पदाधिकारीयों/कनीय अभियंताओं का राज्य से बाहर विशिष्ट प्रशिक्षण दिया गया। 6 मत्स्य जागरूकता केन्द्र का निर्माण कार्य विभिन्न जिलों में किया जा रहा है।

चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में गैर योजना में कुल 1741.72 लाख रू0 का बजट उपबंध तथा योजना मद में 5486 लाख रू0 का बजट उपबंध प्राप्त है जिसमें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 2189 लाख रू0 की राशि कर्णांकित है।

1. केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ :–

राज्य में कुल पॉच केन्द्र प्रायोजित योजनाऍ कार्यान्वित हैं जिसपर भारत सरकार के अंशदान के रूप में 1727 लाख रूपये प्राप्त होने है।

1.1 मत्स्य पालक विकास अभिकरण योजना :–

सम्प्रति राज्य के 38 जिलों में मत्स्य पालक विकास अभिकरण गठित है। इस योजनान्तर्गत मुख्य रूप से अविकसित तालाबों का विकास , नये तालाबों का निर्माण , मत्स्य बीज हैचरी की स्थापना, समेकित मत्स्य पालन तथा जल जमाव क्षेत्र का विकास कार्य किये जाते है।

मत्स्य पालकों के निजी जमीन पर नये तालाब के निर्माण हेतु व्यवसायिक बैंकों से ऋण एवं अनुदान की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। प्रति हे0 3.00 लाख रू0 निर्माण लागत की दर से अधिकतम 20 प्रतिशत अनुदान की राशि की सुविधा उपलब्ध है। अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए अनुदान की दर 25 प्रतिशत निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में 300 हे0 नये/450 हे0 पुराने तालाबों का निर्माण/जीर्णोद्वार करने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त सभी अभिकरण जिलों के लिए मिट्टी एवं जल जॉच किट एवं 248 हेक्टेयर इन्पुट अनुदान उपलब्ध कराने की योजना है। अनुदान की राशि में राज्य सरकार का अंशदान 25 प्रतिशत एवं केन्द्र सरकार का अंशदान 75 प्रतिशत है।

मत्स्य पालक विकास अभिकरण योजना अन्तर्गत विकास कार्यों के लिए अनुदान के रूप में राज्य एवं केन्द्र सरकार के अंशदान मिलाकर कुल 400 लाख रू0 की राशि का प्रावधान

किया गया है। गत वर्ष व्यय 18.63 लाख रूपये की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को भेजा जा चुका है।

1.2 मछुआरों के लिए सामुहिक जीवन दुर्घटना बीमा :–

राष्ट्रीय मछुआ कल्याण योजनान्तर्गत राज्य के सक्रिय मछुआरों को बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। बीमित सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु अथवा स्थाई अपंगता की स्थिति में उनके आश्रित को 1.00 लाख रू0 एवं अस्थाई अपंगता की स्थिति में 50 हजार रू0 की राशि बीमा कम्पनी द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। प्रति सदस्य वार्षिक प्रिमियम 30 रू0 है, जिसका आधा–आधा व्यय भार क्रमशः राज्य एवं केन्द्र सरकार मिलकर वहन करती है। चालू वित्तीय वर्ष में 50,000 मछुआरों के बीमा कवरेज प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त गरीबी रेखा से नीचे की जिंदगी वसर करने वाले 24,000 मछुआरों के लिए जनश्री बीमा योजना लागू की गयी है। दुर्घटना में किसी सदस्य की मुत्यु पर उनके आश्रित को 75 हजार रू0 एवं आंशिक रूप से अपंगता पर 35,500 रू0 बीमा कम्पनी द्वारा दी जाती है। सामान्य मृत्यु पर भी 30 हजार रू0 दिये जाते है। इसके लिए कुल राज्यांश के रूप में 20 लाख रूपये उपबंध प्राप्त है।

1.3 मछुआरों के लिए आवास एवं अन्य नागरिक सुविधाएँ :–

राष्ट्रीय मछुआ कल्याण योजनान्तर्गत मछुआरों के निजी जमीन पर आवास , पेयजल हेतु चापाकल लगाने की योजना है। जहाँ 75 से ज्यादा की संख्या में आवास निर्मित किये जाते है, वहाँ सामुदायिक प्रयोग के लिये एक सामुदायिक भवन का निर्माण भी कराया जाता है। प्रति आवास इकाई लागत 50,000 रू0 , चापाकल हेतु 15,000 रू0 एवं सामुदायिक भवन हेतु 1.75 लाख रू0 निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2010–11 में मछुआ वाहूल्य राज्य के 17 जिलों में 2000 अदद आवास 114 चापाकल एवं 18 सामुदायिक भवन निर्माण की 1042.80 लाख रू0 की योजना स्वीकृति है। इस पर होने वाले व्यय का 50 : 50 % व्यय भार क्रमशः भारत एवं राज्य सरकारें मिलकर वहन करेगीं। भारत सरकार ने अपने अंशदान के रूप में प्रथम चरण में मात्र 285 लाख रूपये विमुक्त किये है। राज्य योजना मद से भी समतूल्य 285 लाख रूपये, कुल 570 लाख रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वित है।

चालु वित्तीय वर्ष में कुल 1500 लाख रूपये व्यय होंगे । भारत सरकार द्वारा गत वर्ष की अवशेष 285 लाख रूपये की राशि की विमुक्ति हेतु अनुरोध तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा जा चुका है।

1.4 मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार योजना :–

मत्स्य विकास कार्यक्रमों के प्रचार एवं प्रसार के लिये इस केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत भारत सरकार का अंशदान 80 प्रतिशत एवं राज्य सरकार का अंशदान 20 प्रतिशत वहन किया जाता है। इस योजनान्तर्गत एक प्रशिक्षण–सह–जागरूकता भवन का निर्माण एवं प्रशिक्षण हेतु दृश्य–श्रव्य(।नकपव.टपेनंस) सामग्रियों से इसे सुसज्जित किया जाता है। इस प्रशिक्षण केन्द्र में विभागीय पदाधिकारियों/कर्मचारियों तथा मत्स्य पालकों को 15 दिनों का विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2010–11 में मुजफ्फरपुर जिला मुख्यालय में प्रशिक्षण केन्द्र निर्माण की कुल 30 लाख रूपये की योजना स्वीकृत एवं प्रथम किश्त के रूप में 8 लाख रूपये की राशि विमुक्त है। भारत सरकार के अंशदान की शेष 16 लाख रूपये की विमुक्ति अनुरोध के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा जा चुका है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत मधुवनी, दरभंगा, सीतामढी, भागलपुर, एवं गया में मत्स्य जागरूकता केन्द्र का निर्माण किया जा रहा है। सभी जगह जमीन उपलब्ध है केवल भागलपुर में पशुपालन प्रक्षेत्र की जमीन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना शेष है।

1.5 मत्स्य विपणन योजना–

इस केन्द्र प्रायोजित योजनाअन्तर्गत कुल व्यय का 75 प्रतिशत व्ययभार भारत सरकार एवं 25 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करती है। मत्स्य विपणन गतिविधि को बढावा देने के उदेश्य से चालु वित्तीय वर्ष में 400 लाख रूपये का बजट उपबंध किया गया है जिसमें भारत सरकार का अंशदान 300 लाख रूपये है। इस राशि से इनसुलेटेड ऑटो, रफजरेड भान, ट्रक आदि मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को अनुदान पर उपलब्ध कराया जायेगा।

मुजफ्फरपुर एवं पटना में थोक मछली बाजार का विकास एवं गया, मधुवनी, नालंदा तथा समस्तीपुर में खुदरा मत्स्य बिक्री केन्द्र स्थापित किये जायेगें। योजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड के सहयोग से कार्यान्वत होगा।

2. राज्य योजना :–

राज्य योजनाअन्तर्गत कुल 5486 लाख रूपये का बजट उपलब्ध है जिसमें से 2181 लाख रूपये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए तथा 418.95 लाख रूपये अनुसुचित जातियों के लिए कर्णांकित है

2.1 उन्नत नश्ल के मत्स्य अंगुलिकाओं का उत्पादन एवं अनुदानित दर पर वितरण :–

इस योजनान्तर्गत प्रगतिशील मत्स्य बीज उत्पादकों को ब्याज रहित 60,000 रू0 प्रति हे0 नर्सरी रकवा की दर से ऋण सहायता उपलब्ध करायी जाती है। इनके द्वारा उत्पादित बीज का 50 प्रतिशत अनुदान पर मत्स्य पालकों को 5000 अंगुलिका प्रति हे0 की दर से मुहैया कराए जाते है। चालु वित्तीय वर्ष 2011–12 में कुल 2274 लाख अंगूलिकाओं का उत्पादन एवं वितरण पर कुल 850 लाख रूपये व्यय का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु परिचालन में है। इससे 45480 हेक्टेयर जलक्षेत्र में अंगूलिकाओं को संचयित किया जा सकेगा।

2.2 तीन माडल हैचरियों की स्थापना–

212.00 लाख रू0 की लागत पर मीठापुर स्थित मत्स्य अन्वेषणालय परिसर में देशी मांगुर , मीठे जल झींगा एवं अंलकारी मछलियों के बीज उत्पादन एवं वितरण हेतु तीन माडल मत्स्य हैचरी स्थापित किये जा रहे है। योजना का कार्यान्वयन केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, मुम्बई के द्वारा टर्न की बेसिस पर निर्मित किया जाएगा। स्वीकृत राशि सी0 आई0 एफ0 ई0 को उपलब्ध करायी जा चुकी है।शीध्र विशेषज्ञ दल के द्वारा स्थल निरीक्षण कर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

2.3 मत्स्य प्रसार योजना –

मत्स्य प्रसार योजनान्तर्गत राज्य के मत्स्य पालकों को केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, मुम्बई के उपकेन्द्रों काकीनाडा, बैरकपुर, साल्टलेक, पवारखेड़ा आदि संस्थनों में भेजकर दस दिवसीय प्रशिक्षण दिलाने की योजना है। अभी तक कुल 2074 मत्स्य पालकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, इन्हें राज्य सरकार के शत प्रतिशत व्यय पर दस दिवसीय प्रशिक्षण दिलाया जाता है। गत वर्ष 750 मत्स्य पालकों को प्रशिक्षित किया जाना था जिसके विरूद्ध 841 मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त 36 विभागीय पदाधिकारीयों/अभियंताओं को आई0 आई0 टी0 खडगपुर से प्रशिक्षित किया जाना है। 18 विभागीय पदाधिकारीयों/अभियंताओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है तथा शेष 18 पदाधिकारीयों/अभियंताओं को 23जून2011 से प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा।

इस योजना पर कुल 70 लाख रूपये का चालु वित्तीय वर्ष में बजट उपबंध उपलब्ध है। चालु वित्तीय वर्ष में 1500 मछुआरों का प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। साथ ही सभी जिला मत्स्य पदाधिकायीयों को सीफा, कोश्लयागंगा,भुवनेश्वर भेजकर प्रशिक्षित करने की योजना बनायी गयी है। इसके अतिरिक्त राज्य के चयनित जिलों में 187 पारा एक्शटेंशन वर्कर को चयनित कर मत्स्य प्रसार कार्य में लगाया जायेगा। साथ ही ऐसे प्रगतिशील मत्स्य पालक जो अपने तालाबों में पंगेशियस मछली का पालन कर रहें हैं उन्हें प्रोत्साहन राशि के रूप में इन्पुट लागत का 40 प्रतिशत अनुदान स्वरूप दिया जायेगा।

2.4 मीठापुर मत्स्य अनुसंधान प्रक्षेत्र में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना–

राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में मीठापुर में एक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र के स्थापना की कार्रवाई प्रक्रिया में है। पूर्व से निर्मित एक प्रशिक्षण भवन उपलब्ध है। मार्च 2011 में प्रशासी पदवर समिति के द्वारा 3 वरीय व्याख्याता 3 कनीय व्याख्याता के साथ ही साथ कार्यालय संचालन हेतु 2 लिपिक एवं 1 प्रधान लिपिक का पद सृजन की सहमति प्रदान की है। शीध्र ही मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त कर पदाधिकारियों को पदस्थापित कर प्रशिक्षण कार्य प्रारभ किया जायेगा। प्रशिक्षण भवन के उन्न्यन एवं उपस्करों के क्रय चालु वित्तीय वर्ष के बजट उपबंध से की जायेगी। इस संस्था के द्वारा राज्य के मछुआरों के साथ साथ क्षेत्रीय कर्मचारियों का भी रिफ्रेशर कोर्स शुरू किया जायेगा।

2.5 मत्स्य फसल बीमा योजना–

राज्य ही नहीं देश में पहली बार मत्स्य फसलबीमा योजना लागु किया जा रहा है। ओरिऐंटल इनश्योरेंस कम्पनी लि0 के साथ एम0 ओ0 यू0 हस्ताक्षरित हो चुका है। 16250 हेक्टेयर की फसलबीमा करने का लक्ष्य है। 3200 रू0 प्रति हेक्टयर वार्षिक प्रिमीयम राशि का आधा आधा व्यय भार क्रमशः राज्य सरकार एवं लाभुक मिलकर वहन करेंगे।राज्य सरकार अपने अंशदान 260 लाख रूपये की राशि की निकासी कर कॉरपश के रूप में रखी गयी है। पंचायत निर्वाचन समाप्त होने के बाद यह योजना लागु करने हेतु कार्यशाला आयोजित किया जायेगा।

2.6 मत्स्य प्रसार पदाधिकारीयों के 534 पदों का सृजन :–

प्रसार तंत्र को सुदृढ करने हेतु प्रखंड स्तर पर एक मत्स्य प्रसार पदाधिकारी पदस्थापित करने की योजना है ताकि मत्स्य पालकों को नवीनतम तकनीक की जानकारी एवं कठिनाइयों का निदान तीब्र गति से उनके तालाब पर ही समाधान हो सके। संलेख प्राधिकृत समिति के विचाराधीन उपस्थापित है।

2.7 **निदेशालय स्तर पर डाटा बेस एवं मत्स्य सूचना केन्द्र की स्थापना–**

निदेशालय स्तर पर सूचना केन्द्र की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के पश्चात कुल पॉच नये पदो ंके सृजन एवं संविदा पर नियत राशि पर नियोजन की योजना स्वीकुत है। इसके अतिरिक्त 40 डाटा इंट्री आपरेटर को नियोजित करने हेतु कारवाई की जा रही हैं।

2.8 मत्स्यबीज हैचरी निर्माण की योजना–

इस योजना अन्तर्गत राज्य में 60 मत्स्यबीज हैचरी का निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य में 65 मत्स्यबीज हैचरी निजी क्षेत्र में कार्यरत है एवं 9 हैचरी निर्माणाधीन है। हैचरी निर्माण की इकाई लागत 15.00 लाख रू0 पर 20 प्रतिशत अधिकतम 3.00 लाख रू0 की राशि अनुदान देय है। शेष राशि बैंकों से वित्त पोषण अथवा स्वलागत व्यय पर भी अनुदान उपलब्ध होगा।

2.9 आद्र जल भूमि विकास योजना–

राज्य में एक लाख हेक्टेयर से अधिक आद्र भूमि जलक्षेत्र उपलब्ध हैं। जिसमें साल के तीन से 12 महीने तक जल जमाव रहता है। राज्य के इस जलश्रोत को मत्स्य पालन हेतु विकसीत करने की योजना है। चालु वित्तीय वर्ष में 404 लाख रूपये की लागत से 196 हेक्टेयर जलक्षेत्र को 50 प्रतिशत के अनुदान पर विकसित कर मत्स्य पालन हेतु अन्तर्गत लाया जायेगा।एक हेक्टयर जलक्षेत्र में 4.12 लाख रूपये इकाई लागत निर्धारित है।

2.9 **जलाशय मात्स्यिकी का विकास :–**

राज्य में 7276 हे0 के करीब जलाशय है। इनमें बड़े साईज की मत्स्य अंगुलिकायें (इयरलिंग) संचित की योजना है। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड ने बॉका जिलें के पाँच जलाशयों में मत्स्य अंगुलिकायें का संचयन करने की योजना है जिस पर कुल 40.29 लाख रू0 के व्यय की स्वीकृति प्राप्त है। प्रथम किस्त के रूप में 20.145 लाख रू0 की विमुक्ति की गयी है। संचयन की कारवाई की जा रही है।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड द्वारा नये तालाबों के निर्माण एवं प्रशिक्षण हेतु 47.472 लाख रूपये की राशि की स्वीकृति एवं प्रथम किश्त के रूप में 25.828 लाख रूपये उपलब्ध कराया है जिसमें अभी 20.32 लाख रूपये व्यय किये गये है।

3.0 **समस्तीपुर जिले के सोनमार चौर के विकास की योजना–**

समस्तीपुर जिले के सरायरंजन प्रखंड के सोनमार चौर का रकवा 110 एकड है। चौर के सुखने के उपरांत कुल 36 तालाबों का निर्माण जिसका रकवा 55 एकड है, का निर्माण मत्स्य पालकों द्वारा किया गया है। सरकार द्वारा इस चौर में 47.87 लाख रूपये से बोरिंग, मोटर, ट्रांसफर्मर,जेनरेटर एवं सोलर पम्प की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। पानी की सुविधा उपलब्ध होने पर शेष भूमि में भी तालाबों का निर्माण हो सकेगा।

3.1 **मधुवनी जिले के सभी तालाबों मे गहन मत्स्य पालन की योजना–**

माननीय विभागीय मंत्री महोदय के विशेष पहल पर मधुवनी जिले के सभी तालाबों में गहन मछली पालन अंतर्गत लाने की योजना बनाई गयी है। मधुवनी जिले के सभी तालाबों का विभाग के द्वारा भौतिक सर्वेक्षण किया गया है। इस योजना को सफल बनाने हेतु राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड के डा0 गोपी नाथ साई द्वारा बनाये गये प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर जिले के सभी तालाबों में अंगूलिकाओं का संचयन किया जायेगा तथा परिपुरक आहार की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कार्यान्वित किया जायेगा।

3.2 **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना**–

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत चालु वित्तीय वर्ष में 2181 लाख रूपये का बजट उपबंध प्राप्त है। अभी तक राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा 2181 लाख के प्रस्ताव के विरूद्ध प्रथम चरण में 947 लाख रूपये की योजना की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। मात्स्यिकी महाविद्यालय,ढोली को 22 लाख रूपये प्रशिक्षण तंत्र के सुदृढिकरण हेतु, मनों में अगूलिकाओं के संचयन हेतु 125 लाख रूपये तथा 500 हेक्टेयर नये तालाब का निर्माण कर गहन मत्स्य पालन हेतु 800 लाख रूपये की योजना की स्वीकृती प्राप्त है।

3.3 **अनुसूचित जाति के विशेष अंगिभूत योजना–**

अनुसूचित जाति के विशेष अंगिभूत योजना अन्तर्गत कुल 418.95 लाख रूपये की राशि कर्णांकित है। विभाग द्वारा योजना की स्वीकृति से संबंधित संलेख तैयार कर अग्रतर कारबाई हेतु परिचालन में है। इस राशि से अनुसूचित जाति के मत्स्य पालकों को मुफत आवास,नर्सरी तालाबों का निर्माण, तालाबों में संचयन हेतु अंगूलिकाएँ तथा परिपूरक आहार एवं नाव जाल तथा साइकिल इनसुलेटेड बाक्स के साथ शतप्रतिशत राज्य सरकार के व्ययभार पर कार्यान्वित की जायेगी।

3.4 **पटना में मछली धर की स्थापना –**

पटना जादुधर के पिछे स्थित जिला मत्स्य कार्यालय परिसर में एक एकड भूखण्ड पर मछली घर निर्माण की योजना है। आई0 एल0 एंड एफ0 एस0 के सहयोग से डी0पी0आर0 तैयार कर निर्माण कार्य इसी वित्तीय वर्ष में कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

3.5 **मत्स्य नीति का प्राख्यापन**–

मत्स्य नीति का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। शीघ्र ही सहमति प्राप्त होते ही मंत्रिपरिषद के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

3.6 **पटना सदर के जलकरों का सीमांकन एवं घेराबंदी की योजना–**

पटना सदर अंचल के सरकारी जलकरों का सर्वप्रथम जिला प्रशासन के सहयोग से सीमांकन कराया जायेगा।तत्पश्चात इसके घेराबंदी एवं जिर्णोद्धार की योजना बनायी जायेगाी ताकि इसमें मत्स्य पालन किया जा सके।

3.7 **पटना सचिवालय तालाब में एंगलिंग की योजना–**

पटना सचिवालय तालाब में इच्छुक लोगों को एंगलिंग करने की सुविधा शुल्क लेकर दी जायेगी। इस तालाब में समुचित मत्स्य उपलब्ध रहे इसके लिए अदालतगंज तालाब को चिन्हित किया गया है।इसमें उत्पादित होने वाली मछलियों को निकालकर समय समय पर सचिवालय तालाब में संचित किया जायेगा।बीज की आपूर्ति म्युजियम तालाब से की जायेगी।इसमें फ्राई का स्टाकिंग कर फिंगरलिंग तथा ईयरलिंग तैयार किया जायेगा।यह एक नयी योजना है और इसी वित्तीय वर्ष में इसे लागु किया जायेगा।

मत्स्य विकास की बाधाएँ

1. लक्ष्य समुह का निरक्षर होना
2. मत्स्य बीज तथा मत्स्य पूरक आहार की कमी
3. नवीनतम तकनीक का अभाव
4. आद्रजलभूमि में मल्टीआनरशीप का होना
5. कमजोर मत्स्य प्रसार तंत्र
6. मानवसंसाधन की कमी
7. व्यवसायिक बैंको का असहयोगात्मक रवैया